

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) तोकापाल जिला बस्तर छ0ग0
// अनुशंसा //

प्रति,

श्रीमती कमलबती पति मोहन
जाति धाकड़ निवासी ग्राम बेड़ागुड़ा राजूर
तहसील तोकापाल, जिला बस्तर छ0ग0

विषय :- वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

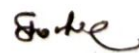
—000—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा सुशासन तिहार में ग्राम राजूर तहसील तोकापाल जिला बस्तर छ0ग0 स्थित भूमि ख0नं0 927 रकबा 0.15 हे. भूमि पर स्थित 02 नग इमली वृक्ष के कटाई करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ-4-34/सात-1/2021 अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 को छ0ग0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत दिये गये निर्देशानुसार विधिवत प्रकरण दर्ज कर प्रारंभ की गई।

प्रकरण में विधिवत उद्घोषणा जारी कर प्रकाशन किया गया। नियत तिथि तक किसी प्रकार की कोई दावा आपत्ति न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक केशलूर एवं वन विभाग के अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 31.05.2025 को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम राजूर, प.ह.नं. 17 राजूर तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित भूमि ख.नं. 927 रकबा 0.15 हे. भूमि पर स्थित 02 नग इमली वृक्ष की कटाई करने हेतु अनुमति दिये जाने अनुशंसा किया गया है। प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रकरण में संलग्न।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ-4-34/सात-1/2021 अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 को छ0ग0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियत 7(3) के तहत अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम राजूर, प0ह0नं0 17 तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित ख0नं0 927 रकबा रकबा 0.15 हे0 के निम्नांकित वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है :-



क्र०	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष की गोलाई (मीटर में)	वृक्ष का प्रकार
01	02	03	04
01	01	02.00	इमली
02	02	1.30	इमली

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1996 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

Signature

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ०ग०)
तोकापाल दिनांक 12/06/2025

पृ०क्र०/ **क** /अ०वि०अ०(रा०)/2024-25
प्रतिलिपि,

- 01 कलेक्टर महोदय जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 03 तहसीलदार तोकापाल को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।
- 04 वन परिक्षेत्र अधिकारी तोकापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 05 ग्राम पंचायत बेड़ागुड़ा वि.खं. तोकापाल को सूचनार्थ।



Signature

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ०ग०)
तोकापाल
जिला-बस्तर (छ.ग.)